राजस्थान–सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ 11791-98 दिनांक :– 10-1-2014

## कार्यालय आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश संख्या 226/2013–14, क्रमांक 8998–9004 दि॰ 16.09.2013 के द्वारा श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण, उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) से सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार के स्थान पर किया गया था। श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा अपील संख्या 1568/2013 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से दिनांक 19.09.2013 को स्थगन प्राप्त कर लिये जाने के कारण आदेश संख्या 275/2013–14, क्रमांक 9661–9666 दिनांक 01.10.2013 के द्वारा आदेश संख्या 226/2013–14, क्रमांक 8998–9004 दिनांक 16.09.2013 को निरस्त करते हुए श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) में यथावत् कार्यरत् रहने एवं श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार को अपनी उपस्थिति उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 01.10.2013 के क्रियान्वयन पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1721/2013 बाबूलाल बनाम निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर व अन्य में आगामी आदेश तक स्थगित रखने के आदेश प्रसारित किये गये। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1721/2013 श्री बाबूलाल बनाम निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर व अन्य में अपने आदेश दिनांक 22.11.2013 एवं अपील संख्या 1568/2013 श्री गेनाराम बनाम निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर में आदेश दिनांक 22.11.2013 में क्रमशः स्थानान्तरण आदेश दिनांक 01.10.2013 एवं स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.09.2013 को राजस्थान सरकार/विभाग द्वारा प्रभावी नहीं किये जाने एवं इस स्थानान्तरण के आधार पर कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के आदेश दिये गये हैं एवं प्रशासनिक आवश्यकता हो तो कर्मचारी का नये सिरे से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के द्वारा उक्त अपीलों के निस्तारण में जारी आदेश दिनांक 22.11.2013 की पालना में इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 16.09.2013 एवं 01.10.2013 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार पूर्वानुसार उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) एवं श्री गेनाराम, कनिष्ट लेखाकार सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) में कार्य करते (पदस्थापित) रहेंगे।

**(वीरबाला जोशी)**
**निदेशक**

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ 11791-98 दिनांक :– 10-1-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप कोषाधिकारी, मेड़ता (नागौर)।
3. सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर)।
4. श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) में कार्यग्रहण कर अवगत करावें।
5. श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) को नवीन आदेशों की पालना में सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) में कायग्रहण करने हेतु।
6. संयुक्त निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. निजी पत्रावली श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार/रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक–II}